19

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3071-एक/2012 - विरूद्व आदेश दिनांक 28-6-2012 - पारित व्दारा - तहसीलदार चितरंगी जिला सिंगरोली - प्रकरण कमांक 28/2011-12 अ-12

छोटेलाल पुत्र तपेश्वर कोल
ग्राम कपुरदेई तहसील चितरंगी जिला सिंगरोली -----आवेदक

विरूंद्व

1- सिंहलाल पुत्र मोहन सिंह गौड
2- मोहन सिंह मृतक पुत्र लक्षिमण सिंह

वारिस

अ- हरिप्रसाद पुत्र स्व. मोहन सिंह
ब- जयप्रसाद पुत्र स्व. मोहन सिंह
ग्राम कपुरदेई तहसील चितरंगी जिला सिंगरोली ---अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री विवके शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11 -2017 को पारित)

यह तहसीलदार चितरंगी जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 28/2011-12 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार चितरंगी को आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की आराजी कमांक 1106 एंव 1107

स्थित ग्राम कपुरदेई के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 28/ 2011-12 अ-12 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त दुधमनिया से सीमांकन कराया। सीमांकन पर अनावेदक क्रमांक 1 ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार चितरंगी ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-6-12 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ लेखी बहस का अवलोकन किया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ लेखी बहस के क्रम में तहसीलदार सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 28/ 2011-12 अ-12 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28-6-12 से आवेदक द्वारा सीमांकन हेतु की गई मांग इस आधार पर अमान्य की है क्योंकि आवेदक के पिता तपेश्वर कोल ने पूर्व में इसी भूमि का सीमांकन करा लिया था जिसका प्रकरण क्रमांक 62 अ 12/81-82 आदेश दिनांक 15-2-1983 है। तहसीलदार के इस निर्णय के क्रम में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है :-

धारा 129 -

(1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण सॅख्यांक की या उप.खंड या भूखंड संख्याक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार , सर्वेक्षण संख्याक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रकिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा चिन्हों का , जो उपयोग में लाए जाऐंगे , प्रकार विहित किया जाएगा ओर सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस का उदग्रहण प्राधिकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस धारा में यह व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कृषक अपनी भूमि का पुनः सीमांकन नहीं करा सकेगा, अपितु राज्य शासन को निर्धारित शुल्क जमा कराने के वाद प्रत्येक कृषक अपनी भूमि का सीमांकन करा सकेगा, प्रावधान दिया गया है। यदि पूर्व में किये गये सीमांकन से कोई भी कृषक संतुष्ट नहीं है वह निर्धारित शुल्क जमा कराकर सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है पुनः सीमांकन कराने पर संहिता की धारा 129 में कोई रोक नहीं है जिसके कारण तहसीलदार चितरंगी व्दारा प्रकरण क्रमांक 28/ 2011-12 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2012 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार चितरंगी व्दारा प्रकरण क्रमांक 28/ 2011-12 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार चितरंगी की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदक व्दारा शासन हित में जमा की गई सीमांकन शुल्क के क्रम में उसकी भूमि का पुर्नसीमांकन करायें तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर